



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042023-245122
CG-DL-E-12042023-245122

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1626]

No. 1626]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 2023/चैत्र 22, 1945

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 2023/CHAITRA 22, 1945

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2023

का.आ. 1705(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3227(अ), तारीख 19 जुलाई, 2022 द्वारा जो भारत के असाधारण, राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 19 जुलाई 2022 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 37.11 हेक्टर (लगभग) या 91.70 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और, केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि इसे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 37.11 हेक्टर (लगभग) या 91.70 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए ; और

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि, उक्त अनुसूची में वर्णित 37.11 हेक्टर (लगभग) या 91.70 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक धारक संख्या सी-1/ई/III/जेजेजेआर/0323/996, तारीख 3 मार्च, 2023 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक संगठन (कोयला मंत्रालय), स्कोप मिनार, 5वीं मंजिल, कोर-2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 के कार्यालय में या विभागाध्यक्ष या महा प्रबंधक (खनन), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, राजस्व विभाग, कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001, महाराष्ट्र के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

मकरधोकरा-I ओपनकास्ट माईन (शेष क्षेत्र)

उमरेर क्षेत्र

जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

(रेखांक धारक संख्या सी-1/ई/III/जेजेजेआर/0323/996, तारीख 3 मार्च, 2023)

सभी अधिकार:

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	भूमि का वर्णन			कुल (हेक्टर में)	टिप्पणी
					काश्तकारी	सरकारी	वन		
1.	कटारा	22	उमरेर	नागपुर	4.70	0.00	0.00	4.70	भाग
2.	शिरपुर	22	उमरेर	नागपुर	18.06	8.91	5.44	32.41	भाग
कुल :					22.76	8.91	5.44	37.11	

कुल क्षेत्र = 37.11 हेक्टर (लगभग) या 91.70 एकड़ (लगभग).

(1) ग्राम कटारा में अर्जित प्लॉट संख्यांक :

काश्तकारी भूमि:

109, 110, 111 और 114(भाग).

(2) ग्राम शिरपुर में अर्जित प्लॉट संख्यांक :

काश्तकारी भूमि:

3, 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37(भाग), 38/1-38/2, 39(भाग), 204, 205, 206 और 207.

सरकारी भूमि:

1, 2, 23, 24, 337 और 338 (आबादी), सड़क, नाला.

वन भूमि:

5, 27 और 202.

सीमा वर्णन:

- क – ख : रेखा ग्राम शिरपुर में बिन्दु 'क' से आरंभ होती है और पश्चिम दिशा में प्लॉट संख्या 202 की बाह्य सीमा को लगकर गुजरती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है।
- ख – ग : रेखा बिन्दु 'ख' से आरंभ होती है और प्लॉट संख्यांक 204, 205, 206 और 207 की बाह्य सीमा को लगकर गुजरती है और बिन्दु 'ग' पर मिलती है।
- ग - घ : रेखा बिन्दु 'ग' से आरंभ होती है और दक्षिण- पश्चिम दिशा सड़क से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है।
- घ - ङ : रेखा बिन्दु 'घ' से आरंभ होती है और सड़क को पार कर उत्तर पश्चिम दिशा में प्लॉट संख्यांक 27, 34, 35, 36, 38 और 37 (भाग) की बाह्य सीमा को लगकर गुजरती है, फिर ग्राम कटारा में प्लॉट संख्यांक 114 (भाग) से होकर गुजरती है और बिन्दु 'ङ.' पर मिलती है।
- ङ.- च : रेखा ग्राम कटारा में बिन्दु 'ङ.' से आरंभ होती है और प्लॉट संख्यांक 110 और 111 की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती और बिन्दु 'च' पर मिलती है।
- च – छ : रेखा बिन्दु 'च' से आरंभ होती है और ग्राम कटारा में प्लॉट संख्यांक 111 और 109 की बाह्य सीमा को लगकर गुजरती है फिर ग्राम शिरपुर में प्लॉट संख्या 38 की बाह्य सीमा को लगकर 39 (भाग) से गुजरती हुई बिन्दु 'छ' पर मिलती है।
- छ – ज : रेखा ग्राम शिरपुर में बिन्दु 'छ' से आरंभ होती है और प्लॉट संख्यांक 38, 36, 34, 32, 27, 24 और 23 की बाह्य सीमा को लगकर गुजरती है और बिन्दु 'ज' पर मिलती है।
- ज – क : रेखा बिन्दु 'ज' से आरंभ होती है और प्लॉट संख्यांक 5, 4, 3, 2 और 202 की बाह्य सीमा को लगकर गुजरती है और आरंभिक बिन्दु 'क' पर समाप्त होती है।

[फा. सं. 43015/11/2021-एलएण्डआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th April, 2023

S.O. 1705(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 3227(E), dated the 19th July, 2022, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 19th July, 2022, the Central Government gave notice of its intention to acquire 37.11 hectares (approximately) or 91.70 acres (approximately) lands and all rights in or over such lands specified in the Schedule annexed to that notification ;

And, whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to the Central Government;

And, whereas, the Central Government after considering the aforesaid report and after consulting to the Government of Maharashtra, is satisfied that the lands measuring 37.11 hectares (approximately) or 91.70 acres (approximately) and all rights in or over such lands as described in the Schedule appended hereto, should be acquired; and

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 37.11 hectares (approximately) or 91.70 acres (approximately) and all rights in or over such lands as described in the said Schedule are hereby acquired.

The plan bearing number C-I/E/III/JJR/0323/996, dated the 3rd March, 2023 of the area covered by this notification may be inspected at the office of the Collector, District Nagpur, Maharashtra or at the office of the Coal Controller, Coal Controller's Organisation (Ministry of Coal), Scope Minar, 5th floor, Core-2, Laxmi Nagar, Delhi-110092 or at the office of the Head of Department or General Manager (Mining), Land and Revenue Department, Western Coalfields Limited, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur – 440 001, Maharashtra.

SCHEDULE

Makardhokra-I Opencast Mine (Balance Area)

Umrer Area

District Nagpur (Maharashtra)

[Plan bearing number C-I/E/III/JJR/0323/996, dated the 3rd March, 2023]

All Rights:

Sr. No.	Name of village	Patwari circle number	Tahsil	District	Description of land			Total (in hectares)	Remarks
					Tenancy	Govern-ment	Forest		
1.	Katara	22	Umrer	Nagpur	4.70	0.00	0.00	4.70	Part
2.	Sirpur	22	Umrer	Nagpur	18.06	8.91	5.44	32.41	Part
Total :					22.76	8.91	5.44	37.11	

Total area: 37.11 hectares (approximately) or 91.70 acres (approximately)

(1) Plot numbers acquired in village Katara :

Tenancy land:

109, 110, 111 and 114(Part).

(2) Plot numbers acquired in village Sirpur:

Tenancy land:

3, 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37(Part), 38/1-38/2, 39(Part), 204, 205, 206 and 207.

Government land:

1, 2, 23, 24, 337 and 338 (Abadi), Road, Nallah.

Forest Land:

5, 27 and 202.

Boundary description:

A – B : Line starts from point 'A' in village Sirpur and passes in west direction along the outer boundary of plot number 202 and meets at point 'B'.

- B – C : Line starts from point 'B' and passes along the outer boundary of plot numbers 204, 205, 206 and 207 and meets at point 'C'.
- C – D : Line starts from point 'C' and passes in south-west direction along the road and meets at point 'D'.
- D – E : Line starts from point 'D' and crosses the road, then passes in north west direction along the outer boundary of plot numbers 27, 34, 35, 36, 38 and 37 (Part) then passes through plot number 114 (Part) in village Katara and meets at point 'E'.
- E – F : Line starts from point 'E' in village Katara, passes in along the outer boundary of plot numbers 110 and 111 and meets at point 'F'.
- F – G : Line starts from point 'F' and passes along the outer boundary of plot numbers 111 and 109 in village Katara, then passes along the outer boundary of plot number 38, passing through plot number 39 (Part) in village Sirpur and meets at point 'G'.
- G – H : Line starts from point 'G' in village Sirpur, passes along the outer boundary of plot numbers 38, 36, 34, 32, 27, 24 and 23 and meets at point 'H'.
- H – A : Line starts from point 'H' and passes along the outer boundary of plot numbers 5, 4, 3, 2 and 202 and ends at starting point 'A'.

[F. No. 43015/11/2021-LA&IR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.